



अनुसंधान प्रश्न

“भारत में लंबित एफआईआर या बंद हो चुका आपराधिक मामला सरकारी नौकरी, पासपोर्ट और वीजा आवेदन पर कैसे असर डालता है, जानकारी देने के क्या नियम हैं, और बरी या आरोपमुक्त उम्मीदवारों पर अदालतों ने क्या कहा है?”

भारत में लंबित एफआईआर या बंद हो चुके आपराधिक मामलों का सरकारी नौकरी, पासपोर्ट और विदेशी यात्रा पर प्रभाव और प्रकटीकरण (Disclosure) संबंधी नियम

सारांश

भारत में लंबित एफआईआर या बंद हो चुके आपराधिक मामलों का सरकारी नौकरी और पासपोर्ट आवेदनों पर गहरा और गंभीर कानूनी प्रभाव पड़ता है। सरकारी नौकरी (लोक नियोजन) के संदर्भ में, उम्मीदवारों का यह दायित्व है कि वे चरित्र सत्यापन प्रपत्र (verification form) में अपने खिलाफ दर्ज सभी पुराने या लंबित आपराधिक मामलों की सत्य और सटीक जानकारी दें; तथ्यों को जानबूझकर छिपाना (suppression of material facts) अपने आप में सेवा समाप्ति या उम्मीदवारी रद्द करने का एक वैध और स्वतंत्र आधार है, भले ही उम्मीदवार बाद में बरी (acquitted) क्यों न हो गया हो, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने *Satish Chandra Yadav v. Union of India* (2022) में पुनः स्थापित किया है। पासपोर्ट के संबंध में, केवल प्राथमिकी (FIR) दर्ज होने या जांच के चरण में रहने को पासपोर्ट देने या नवीनीकृत करने से इनकार करने का वैध आधार नहीं माना जा सकता, जब तक कि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा औपचारिक रूप से आरोप पत्र (charge sheet) पर संज्ञान (cognizance) न लिया गया हो।

सत्यापित मुकदमे	संविधियाँ	नवीनतम निर्णय
25	3	2025
17 उच्च न्यायालय • 8 सर्वोच्च न्यायालय		High Court of Punjab and Haryana

विषय - सूची

I. विस्तृत विश्लेषण	2
II. सांविधिक प्रावधान	4
III. चर्चित मुकदमे	6
IV. मुकदमे का विवरण	8

Vitark AI द्वारा तैयार • अत्यंत गोपनीय • उपयोग से पहले उद्धरण सत्यापित करें

I. विस्तृत विश्लेषण

मुख्य सिद्धांत

01 सत्य प्रकटीकरण का पूर्ण दायित्व (Absolute Duty of Honest Disclosure)

लोक नियोजन में शामिल होने वाले उम्मीदवार का यह कर्तव्य है कि वह अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों, गिरफ्तारी या दोषमुक्ति की सत्य जानकारी दे। प्रपत्र में नकारात्मक उत्तर देकर लंबित मामले को छिपाना स्वयं में "नैतिक अधमता" (moral turpitude) और धोखाधड़ी माना जाएगा, जो सेवा समाप्ति के लिए पर्याप्त आधार है — *Daya Shankar Yadav v. Union of India* (2010)।

02 ससम्मान बरी होने (Honourable Acquittal) और संदेह के लाभ (Benefit of Doubt) में स्पष्ट अंतर

मात्र आपराधिक मामले से बरी हो जाना नियुक्ति का स्वचालित अधिकार नहीं देता। यदि उम्मीदवार गवाहों के मुकरने (witnesses turning hostile) या तकनीकी आधार पर बरी हुआ है, तो इसे सम्मानजनक दोषमुक्ति नहीं माना जाएगा और नियोक्ता उम्मीदवार के पूर्ववृत्त और उपयुक्तता का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन कर उसे अनुपयुक्त घोषित कर सकता है — *Union of India v. Methu Meda* (2021)।

03 पासपोर्ट और लंबित आपराधिक कार्यवाही (Pending Proceeding) का दायरा

पासपोर्ट अधिनियम की धारा 6(2)(f) के तहत पासपोर्ट जारी करने से केवल तब मना किया जा सकता है जब आपराधिक मामला किसी न्यायालय में लंबित हो। जब तक पुलिस द्वारा आरोप पत्र (charge sheet) दाखिल नहीं किया जाता और न्यायालय उस पर संज्ञान (cognizance) नहीं लेता, तब तक केवल एफआईआर का दर्ज होना आपराधिक कार्यवाही का लंबित होना नहीं माना जाएगा — *Jerry Robinson Gerold Joseph v. The Regional Passport Officer* (2023)।

04 अदालत की अनुमति से पासपोर्ट नवीनीकरण का नियम

पासपोर्ट अधिनियम के तहत लंबित आपराधिक मामले के बावजूद, यदि आवेदक संबंधित आपराधिक न्यायालय से देश से बाहर जाने की अनुमति या अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त कर लेता है, तो केंद्रीय अधिसूचना के तहत निर्धारित शर्तों पर पासपोर्ट जारी या नवीनीकृत किया जाना अनिवार्य है — *Sapna v. State of U.P.* (2023)।

05 सत्यापन प्रपत्र में जानकारी छिपाने पर आनुपातिकता (Proportionality) का नियम

केंद्रीय सुरक्षा बलों या पुलिस जैसे अनुशासित बलों में नियुक्ति के समय लंबित अभियोजन या दोषसिद्धि को छिपाने को अत्यंत गंभीर माना जाता है, और ऐसे मामलों में न्यायालय आनुपातिकता या सहानुभूति के आधार पर नियोक्ता के बर्खास्तगी के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करेंगे — *Union of India v. Dilip Kumar Mallick* (2022)।

06 मनमाने निर्णयों के खिलाफ सुरक्षा

यद्यपि नियोक्ता को पूर्ववृत्त की जांच का पूरा अधिकार है, लेकिन यह निरपेक्ष नहीं है। कम संवेदनशील या निचले पदों के लिए निर्णय लेते समय नियोक्ता को अपराध की प्रकृति, सुधार की संभावना और उम्मीदवार की आयु जैसे कारकों पर विचार कर निष्पक्ष व तर्कसंगत रूप से शक्ति का प्रयोग करना चाहिए — *Pawan Kumar v. Union of India & Anr.* (2022)।

न्यायालयों ने इसे कैसे लागू किया

07 सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण

देश की सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट किया है कि लोक सेवा में नियोक्ता के पास उम्मीदवारों के पूर्ववृत्त और उपयुक्तता की जांच करने की व्यापक शक्तियाँ हैं। *The State of Madhya Pradesh v. Bhupendra Yadav* (2023) में यह माना गया कि यदि किसी उम्मीदवार की दोषमुक्ति गवाहों के मुकदमे के कारण हुई है, तो नियोक्ता उसे सेवा में रखने से इनकार कर सकता है। इसके अलावा, *Union Territory, Chandigarh Administration v. Pradeep Kumar* (2018) में स्पष्ट किया गया कि तकनीकी आधार पर बरी होने वाले व्यक्तियों को अनुशासित बल में सीधे शामिल करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता, जब तक कि स्क्रीनिंग कमेटी उनकी उपयुक्तता पर संतुष्ट न हो।

08 उच्च न्यायालय की भिन्नताएँ

विभिन्न उच्च न्यायालयों ने विशिष्ट पदों के लिए इस कानून को और सख्त किया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने *Apoorva Pathak v. The Hon'ble High Court of M.P.* (2019) में माना कि सिविल जज पद के लिए सत्यापन फॉर्म में आपराधिक जानकारी छिपाना चयन रद्द करने का एक वैध कारण है क्योंकि न्यायिक पदों के लिए उच्चतम सत्यनिष्ठा आवश्यक है। वहीं, पासपोर्ट के मामलों में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने *Chandrashekar Nanu Poojary v. Union of India* (2024) में स्पष्ट किया कि केवल पुलिस जांच के लंबित होने से पासपोर्ट को नहीं रोका जा सकता क्योंकि धारा 6(2)(f) केवल न्यायिक संज्ञान के बाद ही लागू होती है।

09 हाल का विकास

हालिया न्यायिक निर्णयों ने नागरिकों की यात्रा की स्वतंत्रता और पासपोर्ट रखने के अधिकारों की पुनः व्याख्या की है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने *Mukul Kalra v. Union of India* (2025) में दोहराया कि केवल आरोपी होना पासपोर्ट नवीनीकरण को रोकने का आधार नहीं हो सकता और अदालती अनुमति के उपक्रम के साथ पासपोर्ट जारी किया जाना चाहिए। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने *Bikki Nageswara Rao v. Union of India* (2025) में प्रतिकूल पुलिस रिपोर्ट के बावजूद यह माना कि जब तक सक्षम न्यायालय आरोप पत्र पर संज्ञान नहीं लेता, तब तक पासपोर्ट को रोकना असंवैधानिक है।

II. सांविधिक प्रावधान 3 प्रावधान

SECTION 6, PASSPORTS ACT, 1967 — REFUSAL OF PASSPORTS, TRAVEL DOCUMENTS, ETC.

यह प्रावधान उन आधारों को निर्धारित करता है जिन पर पासपोर्ट प्राधिकरण पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी करने से इनकार करेगा, जिसमें वे मामले शामिल हैं जहां आवेदक के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही लंबित है या अदालत द्वारा वारंट या समन जारी किया गया है।

"Subject to the other provisions of this Act, the passport authority shall refuse to issue a passport or travel document for visiting any foreign country under clause (c) of sub-section (2) of section 5 on any one or more of the following grounds, and on no other ground, namely :— ... (f) that proceedings in respect of an offence alleged to have been committed by the applicant are pending before a criminal court in India; (g) that a warrant or summons for the appearance, or a warrant for the arrest, of the applicant has been issued by a court under a" उद्धृत: Bikki Nageswara Rao v. Union of India, Ganesan Kumaresan v. Regional Passport Officer, Mukul Kalra v. Union of India

SECTION 19, PASSPORTS ACT, 1967 — PASSPORTS AND TRAVEL DOCUMENTS TO BE INVALID FOR TRAVEL TO CERTAIN COUNTRIES

यह प्रावधान उन स्थितियों को रेखांकित करता है जहां केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कुछ शर्तों के तहत पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज विशिष्ट विदेशी देशों की यात्रा के लिए अमान्य हो जाते हैं।

"19. Passports and travel documents to be invalid for travel to certain countries.—Upon the issue of a notification by the Central Government that a foreign country is— (a) a country which is committing external aggression against India; or (b) a country assisting the country committing external aggression against India; or (c) a country where armed hostilities are in progress; or (d) a country to which travel must be restricted in the public interest because such travel would seriously impair the conduct of foreign affairs of the Government of India, a passport or travel document for travel through or visiting such country shall cease to be valid for such travel or visit unless in any case a special endorsement in that behalf is made in the prescribed form by the prescribed authority." उद्धृत: Bikki Nageswara Rao v. Union of India, Ganesan Kumaresan v. Regional Passport Officer, Mukul Kalra v. Union of India

SECTION 12, PASSPORTS ACT, 1967 — OFFENCES AND PENALTIES

यह अधिनियम के तहत विभिन्न अपराधों और दंडों को निर्धारित करता है, जिसमें पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए जानबूझकर गलत जानकारी देना या महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाना शामिल है।

"(1) Whoever-- ... (b) knowingly furnishes any false information or suppresses any material information with a view to obtaining a passport or travel document under this Act or without lawful authority alters or attempts to alter or causes to alter the entries made in a passport or travel document; ... shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which may extend to five thousand rupees or with both." उद्धृत: कोई नहीं (संविधि संदर्भ)

III. चर्चित मुकदमे

25 मुकदमे • सारणी

#	मुकदमा	न्यायालय	वर्ष	मुख्य निर्णय
01	<i>Union of India v. Methu Meda</i> ESCR010004782021	SUPREME COURT OF INDIA	2021	गंभीर अपराधों में गवाह मुकरने के कारण बरी होना 'ससम्मान' नहीं माना जाएगा।
02	<i>Jerry Robinson Gerold Joseph v. The Regional Passport Officer</i> HCMD011089782023	MADRAS HIGH COURT	2023	केवल जांच के अधीन एफआईआर लंबित होना पासपोर्ट रोकने का आधार नहीं है।
03	<i>Satish Chandra Yadav v. Union of India</i> ESCR010005882022	SUPREME COURT OF INDIA	2022	सत्यापन प्रपत्र में आपराधिक इतिहास छिपाना सेवा समाप्ति का वैध आधार है।
04	<i>Pawan Kumar v. Union of India & Anr.</i> ESCR010004742022	SUPREME COURT OF INDIA	2022	केवल जानकारी छिपाने के कारण मनमाने ढंग से सेवा समाप्त नहीं की जा सकती।
05	<i>Apoorva Pathak v. The Hon'ble High Court of M.P.</i> MPHC010409492019	HIGH COURT OF MADHYA PRADESH	2019	सिविल जज पद के लिए आपराधिक इतिहास छिपाना उम्मीदवारी रद्द करने योग्य है।
06	<i>Ranjeet Bishnoi v. State of Rajasthan</i> RJHC020524922023	HIGH COURT OF RAJASTHAN	2023	पुलिस कांस्टेबल पद हेतु सत्यापन प्रपत्र में एफआईआर छुपाने पर बर्खास्तगी वैध है।
07	<i>Mukul Kalra v. Union of India</i> PHHC010282492025	HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA	2025	अपराधिक मामले में केवल आरोपी होना पासपोर्ट नवीनीकरण रोकने का आधार नहीं है।
08	<i>Mohammad Abass Lone v. Union of India</i> JKHC010041072024	HIGH COURT OF JAMMU AND KASHMIR	2025	जब तक चार्जशीट दायर न हो, मामला धारा 6(2)(f) में लंबित नहीं माना जाएगा।
09	<i>Commissioner of Police v. Raj Kumar</i> ESCR010003242021	SUPREME COURT OF INDIA	2021	समझौता या बरी होने पर भी नियोक्ता उम्मीदवार की उपयुक्तता जांचने हेतु स्वतंत्र है।
10	<i>Union of India v. Dilip Kumar Mallick</i> ESCR010002092022	SUPREME COURT OF INDIA	2022	लोक नियोजन में आपराधिक इतिहास छिपाना अनुशासनहीनता है और सेवा समाप्ति योग्य है।
11	<i>Rajesh Babu Karanam v. Union of India</i> APHC010507562023	HIGH COURT OF ANDHRA PRADESH	2023	सक्षम न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने से पूर्व पासपोर्ट नवीनीकरण रोका नहीं जा सकता।
12	<i>Dina Nath v. Union Government of India</i> UPHC010906252001	ALLAHABAD HIGH COURT	2018	बल में भर्ती के समय लंबित आपराधिक इतिहास छिपाने पर उम्मीदवारी रद्द करना वैध।
13	<i>Abhishek Kumar Singh v. State of U.P.</i> UPHC010031972023	ALLAHABAD HIGH COURT	2023	सहायक समीक्षा अधिकारी पद हेतु लंबित आपराधिक इतिहास छिपाना अस्वीकृति का आधार।
14	<i>Sapna v. State of U.P.</i> UPHC020195002023	ALLAHABAD HIGH COURT	2023	लंबित मामले में न्यायालय से अनापत्ति मिलने पर शर्तों के साथ पासपोर्ट नवीनीकरण संभव।
15	<i>Salikram v. State of Madhya Pradesh</i> MPHC030223142017	HIGH COURT OF MADHYA PRADESH	2023	संदेह के लाभ पर बरी होना पुलिस बल में नियुक्ति का अधिकार नहीं देता।

#	मुकदमा	न्यायालय	वर्ष	मुख्य निर्णय
16	<i>S. Shanthi v. The Regional Passport Officer</i> HCMD010819112016	MADRAS HIGH COURT	2016	गंभीर लंबित आपराधिक मामलों के कारण पासपोर्ट नवीनीकरण की अस्वीकृति उचित है।
17	<i>Janardhan Sah v. State of Jharkhand</i> JHHC010015192023	HIGH COURT OF JHARKHAND	2024	दोषसिद्धि छिपाने के कारण कांस्टेबल की सेवा समाप्ति को बरी होने से बचाया नहीं जा सकता।
18	<i>Daya Shankar Yadav v. Union of India</i> ESCR010002062010	SUPREME COURT OF INDIA	2010	सत्यापन प्रपत्र में पूछे गए आपराधिक अभियोजन का नकारात्मक उत्तर छिपाना है।
19	<i>Union of India v. Jai Singh Meena</i> RJHC021040282019	HIGH COURT OF RAJASTHAN	2024	अपराधिक इतिहास छिपाना, बरी होने के बाद भी, बर्खास्तगी का वैध आधार है।
20	<i>Ganesan Kumaresan v. Regional Passport Officer</i> HCMD010851612025	MADRAS HIGH COURT	2025	लंबित आपराधिक मामले में पासपोर्ट नवीनीकरण रोकने के लिए धारा 6(2)(f) प्रभावी है।
21	<i>Bikki Nageswara Rao v. Union of India</i> APHC010128232025	HIGH COURT OF ANDHRA PRADESH	2025	केवल प्राथमिकी (FIR) दर्ज होने को पासपोर्ट रोकने का आधार नहीं बनाया जा सकता।
22	<i>Union Territory, Chandigarh Administration v. Pradeep Kumar</i> ESCR010003432018	SUPREME COURT OF INDIA	2018	तकनीकी आधार पर बरी होने पर भी नियोक्ता उम्मीदवार को खारिज कर सकता है।
23	<i>Chandrashekar Nanu Poojary v. Union of India</i> KAHC010133982024	HIGH COURT OF KARNATAKA	2024	जब तक सक्षम न्यायालय संज्ञान न ले, मामला लंबित नहीं माना जाएगा।
24	<i>The State of Madhya Pradesh v. Bhupendra Yadav</i> ESCR0100072023	SUPREME COURT OF INDIA	2023	संदेह के लाभ पर बरी उम्मीदवार को नियुक्ति हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता।
25	<i>Shafat Basha Peshimam v. Union of India</i> KAHC010379282023	HIGH COURT OF KARNATAKA	2024	केवल विभागीय जांच या एफआईआर होने पर पासपोर्ट रोकने से इनकार अनुचित है।

IV. मुकदमे का विवरण 25 केस फ़ाइलें

01 Union of India v. Methu Meda

SUPREME COURT OF INDIA • 2021-10-06 • 2021 INSC 623

यह मामला सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिव्योरिटी फोर्स (CISF) में कॉन्स्टेबल पद के लिए उम्मीदवार की पात्रता से संबंधित है। प्रतिवादी पर अपहरण और फिरौती मांगने जैसे गंभीर आपराधिक मामले थे, जिनमें वह बरी हो गया था क्योंकि गवाह मुकर गए थे। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 'honourable acquittal' और केवल संदेह के लाभ (benefit of doubt) पर बरी होने में अंतर है। कानून के तहत, नियोक्ता किसी उम्मीदवार की उपयुक्तता की जांच करने के लिए स्वतंत्र है, विशेष रूप से अनुशासित बल (disciplined force) में। चूंकि प्रतिवादी की दोषमुक्ति 'honourable' नहीं थी और उसे संदेह के लाभ पर बरी किया गया था, इसलिए नियोक्ता को उसे नियुक्त करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट के आदेशों को रद्द करते हुए स्क्रीनिंग कमेटी के फैसले को सही ठहराया।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि यदि अपहरण जैसे गंभीर अपराधों में बरी होना गवाहों के मुकरने (hostile) के कारण हुआ है, तो इसे 'सम्मानजनक दोषमुक्ति' (honourable acquittal) नहीं माना जाएगा। नियोक्ता को उम्मीदवार की उपयुक्तता जांचने का अधिकार है और वह ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए विवश नहीं है।

“In the present case, the charges were framed against the respondent for the offences punishable under Sections 347/327/323/ 506(Part-II) and 364A IPC. He was acquitted after trial vide judgment dated 19.03.2010 by the Sessions Judge, Jhabua because the person kidnapped Nilesh and also his wife have not supported the case of prosecution. As per prosecution, the complainant was beaten by the respondent and the said fact found support from the evidence of doctor. Therefore, it appears that the Committee was of the view that acquittal of the respondent, in the facts of the present case, cannot be termed as 'honourable acquittal' and the said acquittal may be treated by giving benefit of doubt.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2021

स्रोत ESCR010004782021

02 Jerry Robinson Gerold Joseph v. The Regional Passport Officer

MADRAS HIGH COURT • 2023-09-27 • WP(MD)/23686/2023

यह मामला याचिकाकर्ता द्वारा पासपोर्ट आत्मसमर्पण करने के आदेश को चुनौती देने से संबंधित है। पासपोर्ट अधिकारी ने यह तर्क देते हुए आदेश जारी किया था कि याचिकाकर्ता ने पासपोर्ट प्राप्त करते समय अपने खिलाफ लंबित एक आपराधिक मामले (FIR) को छिपाया था। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि Passport Act, 1967 की धारा 6(2)(f) के तहत 'लंबित आपराधिक कार्यवाही' का अर्थ केवल तब होता है जब सक्षम न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान (cognizance) लिया गया हो। चूंकि याचिकाकर्ता के खिलाफ मामला अभी केवल जांच (investigation) के चरण में था, न्यायालय ने माना कि FIR की लंबित जानकारी देना अनिवार्य नहीं था। तदनुसार, न्यायालय ने पासपोर्ट अधिकारी के आदेश को रद्द कर दिया।

निर्णय उच्च न्यायालय ने माना कि केवल एफआईआर दर्ज होने और पुलिस जांच के लंबित होने को पासपोर्ट अधिनियम के तहत न्यायालय में "लंबित आपराधिक कार्यवाही" नहीं माना जा सकता। जब तक न्यायालय संज्ञान नहीं लेता, तब तक पासपोर्ट आवेदन को रोक नहीं जा सकता।

“It may be noted that mere filing of FIRs and cases under investigation do not come under the purview of Section 6(2)(f) and that criminal proceedings would only be considered pending against an applicant if a case has been registered before any Court of law and the court has taken cognizance of the same.” 10. As per the above circular, the pendency of an FIR is not a bar for issuance of passport. Therefore, there is no necessity for the petitioner to inform the pendency of FIR at the time of applying for passport.”

MADRAS HIGH COURT • 2023

स्रोत HCMD011089782023

03 Satish Chandra Yadav v. Union of India

SUPREME COURT OF INDIA • 2022-09-26 • 2022 INSC 1024

यह मामला लोक नियोजन (public employment) में गलत जानकारी देने या आपराधिक पृष्ठभूमि को छिपाने के परिणामों से संबंधित है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि कोई उम्मीदवार अपनी भर्ती के समय सत्यापन फॉर्म (verification form) में लंबित या पूर्व आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाता है, तो यह उसके चरित्र और उपयुक्तता पर प्रश्न उठाता है। ऐसे मामलों में, नियुक्ति के बाद सेवा समाप्ति का निर्णय अनुचित नहीं है, भले ही उम्मीदवार बाद में उस आपराधिक मामले में बरी हो गया हो। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि लोक नियोक्ता (public employer) के पास उम्मीदवार के पूर्ववृत्त (antecedents) की जांच करने और उनकी सत्यता सुनिश्चित करने का पूर्ण अधिकार है, और 'Section 136 of the Constitution' के तहत इस विवेकाधीन शक्ति में न्यायालय तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि कोई विशेष अन्याय न हुआ हो।

निर्णय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सत्यापन फॉर्म में सत्य जानकारी न देना स्वयं में नौकरी से निकाले जाने या उम्मीदवारी निरस्त करने का एक पर्याप्त आधार है। नियोक्ता उम्मीदवार के पूर्ववृत्त पर विचार करने के लिए अधिकृत है और उसे किसी संदिग्ध व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

“Information given to the employer by a candidate as to conviction, acquittal or arrest, or pendency of a criminal case, whether before or after entering into service must be true and there should be no suppression or false mention of required information. 38.2. While passing order of termination of service or cancellation of candidature for giving false information, the employer may take notice of special circumstances of the case, if any, while giving such information. 38.3. The employer shall take into consideration the Government orders/instructions/rules, applicable to the employee, at the time of taking the decision.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2022

स्रोत ESCR010005882022

04 Pawan Kumar v. Union of India & Anr.

SUPREME COURT OF INDIA • 2022-05-02 • 2022 INSC 499

यह मामला Railway Protection Force (RPF) में कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुए उम्मीदवार की सेवा समाप्ति से संबंधित है। उम्मीदवार को प्रशिक्षण के दौरान इस आधार पर बर्खास्त कर दिया गया था कि उसने सत्यापन फॉर्म भरते समय अपने खिलाफ दर्ज एक पुराने आपराधिक मामले की जानकारी छुपाई थी। बाद में यह स्पष्ट हुआ कि वह मामला झूठा था और उम्मीदवार को सम्मानजनक रूप से बरी कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि केवल जानकारी छुपाने के आधार पर किसी कर्मचारी को मनमाने ढंग से सेवा से नहीं निकाला जा सकता। सक्षम प्राधिकारी को निर्णय लेते समय पद की प्रकृति, कर्तव्यों और अपराधी की पृष्ठभूमि का निष्पक्ष मूल्यांकन करना चाहिए। न्यायालय ने माना कि इस मामले में बर्खास्तगी का आदेश अनुचित था और उसे रद्द कर दिया।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि "मैककार्थीवाद" संवैधानिक लक्ष्यों के विपरीत है। तुच्छ मामलों या झूठे मुकदमों में जहां उम्मीदवार सम्मानजनक रूप से बरी हो चुका है, केवल जानकारी छुपाने के तकनीकी आधार पर मनमाने ढंग से सेवा समाप्त नहीं की जानी चाहिए।

"Suppression of "material" information presupposes that what is suppressed that "matters" not every technical or trivial matter. The employer has to act on due consideration of rules/instructions, if any, in exercise of powers in order to cancel candidature or for terminating the services of employee. Though a person who has suppressed the material information cannot claim unfettered right for appointment or continuity in service but he has a right not to be dealt with arbitrarily and exercise of power has to be in reasonable manner with objectivity having due regard to facts of cases."

SUPREME COURT OF INDIA • 2022

स्रोत ESCR010004742022

05 Apoorva Pathak v. The Hon'ble High Court of M.P.

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH • 2019-10-03 • WP/16900/2019

यह मामला Civil Judge Class-II की चयन प्रक्रिया में Material Facts को छुपाने से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने नियुक्ति के लिए अपने Attestation Form में अपने खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले और व्यक्तिगत बांड (personal bond) के निष्पादन की जानकारी का खुलासा नहीं किया था। न्यायालय ने माना कि नियुक्ति के समय तथ्यों को छुपाना या गलत जानकारी देना 'Fraud' के समान है। न्यायालय ने स्थापित किया कि सेवा में चरित्र सत्यापन के लिए मांगी गई जानकारी को न छिपाना अनिवार्य है, चाहे बाद में उस आपराधिक मामले का परिणाम कुछ भी हो। इस आधार पर, न्यायालय ने याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को रद्द करने के निर्णय को सही ठहराया और स्पष्ट किया कि धोखे से प्राप्त की गई नियुक्ति कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है।

निर्णय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना कि लंबित आपराधिक मामले की जानकारी छुपाना अपने आप में 'नैतिक अधमता' (moral turpitude) के समान है। नियुक्ता और विभाग का विश्वास खोने के आधार पर की गई सेवा समाप्ति पूरी तरह से कानून सम्मत है।

"The pendency of a criminal case/proceeding is different from suppressing the information of such pendency. The case pending against a person might not involve 10 moral turpitude but suppressing of this information itself amounts to moral turpitude . In fact, the information sought by the employer if not disclosed as required, would definitely amount to suppression of material information. In that eventuality, the service becomes liable to be terminated, even if there had been no further trial or the person concerned stood acquitted/discharged."

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH • 2019

स्रोत MPHC010409492019

06 Ranjeet Bishnoi v. State of Rajasthan

HIGH COURT OF RAJASTHAN • 2023-10-11 • SAW/613/2023

यह मामला पुलिस कांस्टेबल पद पर भर्ती के दौरान आपराधिक रिकॉर्ड छिपाने से संबंधित है। अपीलकर्ता ने आवेदन प्रक्रिया के समय अपने खिलाफ दर्ज FIR और मुकदमे की जानकारी जानबूझकर छिपाई थी। नियुक्ति के बाद, पुलिस सत्यापन के दौरान यह तथ्य सामने आने पर राज्य सरकार ने उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया था। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि बाद में उसे मामले से बरी कर दिया गया था, इसलिए उसकी बर्खास्तगी गलत थी। न्यायालय ने 'Avtar Singh' और 'Satish Kumar Chandra' के फैसलों का हवाला देते हुए माना कि भर्ती के समय महत्वपूर्ण जानकारी छिपाना सेवा समाप्ति का वैध आधार है, विशेषकर पुलिस बल जैसे संवेदनशील पद के लिए। अंततः, न्यायालय ने अपील खारिज कर दी और बर्खास्तगी के निर्णय को सही ठहराया।

निर्णय राजस्थान उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि पुलिस कांस्टेबल जैसे संवेदनशील और सार्वजनिक विश्वास के पद के लिए उम्मीदवार का सत्यनिष्ठ आचरण होना चाहिए। आवेदन के समय आपराधिक मामले के पंजीकरण को जानबूझकर छिपाना सेवा समाप्ति का वैध आधार है।

“The suppression of material information and making a false statement in the verification Form relating to arrest, prosecution, conviction etc., has a clear bearing on the character, conduct and antecedents of the employee. If it is found that the employee had [2023:RJ-JP:29389-DB] (7 of 8) [SAW-613/2023] suppressed or given false information in regard to the matters having a bearing on his fitness or suitability to the post, he can be terminated from service.”

HIGH COURT OF RAJASTHAN • 2023

स्रोत RJHC020524922023

07 Mukul Kalra v. Union of India

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA • 2025-07-29 • CWP/4935/2025

यह याचिका पासपोर्ट नवीनीकरण की अनुमति के लिए दायर की गई थी। याचिकाकर्ता, जो FIR No. 21 के तहत एक आपराधिक मामले का सामना कर रहा है, ने पासपोर्ट नवीनीकरण हेतु trial Court से अनुमति प्राप्त की थी, लेकिन Regional Passport Office ने यह कहते हुए इसे अस्वीकार कर दिया कि याचिकाकर्ता को विदेश जाने की स्पष्ट अनुमति नहीं है। उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि केवल एक आपराधिक मामले का लंबित होना पासपोर्ट के नवीनीकरण को रोकने का आधार नहीं हो सकता। न्यायालय ने याचिकाकर्ता को संबंधित trial Court में एक शपथ पत्र और उपक्रम (undertaking) जमा करने का निर्देश दिया कि वह न्यायालय की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेगा। इन शर्तों के साथ, passport authorities को नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है।

निर्णय उच्च न्यायालय ने माना कि पासपोर्ट अधिनियम की धारा 6 के तहत केवल प्राथमिकी (FIR) दर्ज होने के आधार पर पासपोर्ट देने से मना करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। विदेश यात्रा का अधिकार और पासपोर्ट रखना नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के तहत संरक्षित है।

“A perusal of section 6 of the Passports Act would show that mere pendency of an FIR itself is no ground for refusal or non-issuance of passport to the applicant. ... From the above referred judicial pronouncements, it is apparent that mere pendency of criminal case cannot be the ground to deny passport facilities to an applicant since right to personal liberty not only includes applicant's right to travel abroad, but also applicant's right to possess or hold a passport.”

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA • 2025

स्रोत PHHC010282492025

08 Mohammad Abass Lone v. Union of India

HIGH COURT OF JAMMU AND KASHMIR • 2025-02-10 • WP(C)/1836/2024

यह मामला पासपोर्ट के नवीनीकरण (re-issuance) से संबंधित है। याचिकाकर्ता का पासपोर्ट नवीनीकरण आवेदन अधिकारियों द्वारा केवल इसलिए रोक दिया गया था क्योंकि उनके खिलाफ एक FIR दर्ज थी, हालांकि उस मामले में अभी तक कोई चार्जशीट दायर नहीं की गई थी। न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय 'Rajesh Gupta v. Union of India' का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि The Passport Act, 1967 की धारा 6(2)(f) के तहत पासपोर्ट तभी रोका जा सकता है जब किसी आपराधिक न्यायालय में 'criminal proceedings' लंबित हों। चूंकि केवल FIR दर्ज होना और जांच चलना 'pending proceedings' नहीं माना जाता है, इसलिए न्यायालय ने याचिकाकर्ता के पक्ष में निर्णय देते हुए अधिकारियों को कानून के अनुसार पासपोर्ट जारी करने का निर्देश दिया।

निर्णय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब तक सक्षम आपराधिक न्यायालय औपचारिक रूप से संज्ञान (cognizance) नहीं ले लेता, तब तक पासपोर्ट अधिनियम के तहत कार्यवाही न्यायालय में लंबित नहीं मानी जा सकती। केवल एफआईआर दर्ज होने के कारण पासपोर्ट रोकने का अधिकारियों का निर्णय निरस्त किया गया।

“At this stage, when FIR alone is registered and investigation is 5 undertaken by the Investigating Agency, there are no proceedings before a criminal Court. The criminal proceedings commence before the competent Court of criminal jurisdiction only when a final report is laid by the investigating agency before the Court or in case of a private complaint, when the criminal Court of competent jurisdiction takes cognizance and proceeds in the manner provided under the Code of Criminal Procedure.”

HIGH COURT OF JAMMU AND KASHMIR • 2025

स्रोत JKHCO10041072024

09 Commissioner of Police v. Raj Kumar

SUPREME COURT OF INDIA • 2021-08-25 • 2021 INSC 423

यह मामला दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती के दौरान उम्मीदवारों की उपयुक्तता से संबंधित है। उम्मीदवारों पर पहले आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें से कुछ में वे बरी हो गए थे या समझौता हो गया था। दिल्ली पुलिस की स्क्रीनिंग कमेटी ने उन्हें सेवा के लिए अनुपयुक्त माना, जिसे केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) और बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय ने उलट दिया। उच्चतम न्यायालय ने इस निर्णय को रद्द करते हुए स्पष्ट किया कि आपराधिक मामलों में बरी होना या आरोप समाप्त होना किसी उम्मीदवार को स्वतः नियुक्ति का हकदार नहीं बनाता। न्यायालय ने कहा कि लोक सेवा में नियोक्ता के पास उम्मीदवारों की उपयुक्तता तय करने का व्यापक अधिकार होता है। न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि उम्मीदवारों की आयु या ग्रामीण पृष्ठभूमि के आधार पर आपराधिक आचरण को सामान्य मानकर उसे नजरअंदाज करना अनुचित है, विशेषकर police जैसे बल के लिए जहाँ लोक विश्वास सर्वोपरि है।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि नियोक्ता को उम्मीदवारों के चरित्र और उपयुक्तता की जांच करने का पूर्ण अधिकार है। गंभीर अपराधों या नैतिक अधमता वाले मामलों में समझौते या संदेह के लाभ के आधार पर बरी होने वाले उम्मीदवार नियुक्ति के लिए बाध्य नहीं कर सकते।

“If a candidate had disclosed his/her involvement in criminal case, complaint case, preventive proceedings etc. both in the application form as well as in the attestation form but was acquitted or discharged by the court, his/her case will be referred to the Screening Committee of PHQ to assess his/her suitability for appointment in Delhi Police.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2021

स्रोत ESCR010003242021

10 Union of India v. Dilip Kumar Mallick

SUPREME COURT OF INDIA • 2022-04-05 • 2022 INSC 1301

यह मामला CRPF में एक कर्मचारी द्वारा नियुक्ति के समय अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामले की जानकारी छुपाने से संबंधित है। प्रतिवादी (respondent) ने सत्यापन फॉर्म में जानकारी न देकर तथ्य छिपाए, जिसके लिए विभागीय जांच के बाद उसे सेवा से हटा दिया गया था। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इस सजा को अत्यधिक कठोर मानते हुए उसे कम करने का निर्देश दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस आदेश को पलटते हुए कहा कि चूँकि सामग्री जानकारी छिपाने का तथ्य निर्विवादित है, इसलिए न्यायालय के लिए सजा की मात्रा में हस्तक्षेप करने का कोई कानूनी आधार नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सेवा संबंधी रिकॉर्ड में गलत जानकारी देना या महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाना अनुशासनहीनता है और नियोक्ता का निर्णय सही था।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सूचनाओं को दबाना और झूठी जानकारी देना दोनों समान रूप से गंभीर कृत्य हैं। यदि उम्मीदवार नियुक्ति के समय लंबित आपराधिक मामले को छिपाता है, तो नियोक्ता को सेवा समाप्त करने का पूर्ण अधिकार है और न्यायालय को सजा की मात्रा में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

“Thus, it remains beyond the pale of doubt that the cases of non-disclosure of material information and of submitting false information have been treated as being of equal gravity by this Court and it is laid down in no uncertain terms that non-disclosure by itself may be a ground for an employer to cancel the candidature or to terminate services.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2022

स्रोत ESCR010002092022

11 Rajesh Babu Karanam v. Union of India

HIGH COURT OF ANDHRA PRADESH • 2023-10-13 • WP/26143/2023

यह मामला याचिकाकर्ता के पासपोर्ट के नवीनीकरण को लेकर था, जिसे पासपोर्ट अधिकारियों ने केवल एक आपराधिक मामले के पंजीकरण (registration of crime) के आधार पर अस्वीकार कर दिया था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि जब तक अदालत द्वारा मामला दर्ज (cognizance) नहीं किया जाता और चार्जशीट दाखिल नहीं होती, तब तक इसे Section 6(2)(f) of the Passports Act, 1967 के तहत लंबित आपराधिक कार्यवाही नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने याचिकाकर्ता के पक्ष में निर्णय देते हुए कहा कि केवल FIR दर्ज होना पासपोर्ट नवीनीकरण से इनकार करने का वैध आधार नहीं है। तदनुसार, न्यायालय ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यदि अन्य सभी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, तो वे याचिकाकर्ता के पासपोर्ट का नवीनीकरण करें।

निर्णय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने और न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने के बाद ही पासपोर्ट अधिनियम के तहत प्रतिबंध लागू होते हैं। केवल एफआईआर या लंबित पुलिस जांच के आधार पर पासपोर्ट नवीनीकरण को रोका नहीं जा सकता।

“The Hon’ble Supreme Court as well as various High Courts held that, mere pendency of a First Information Report cannot be the legal basis ... only after cognizance is taken by an appropriate Court that it can be held that criminal proceedings have commenced and issuance or renewal of the passport would depend on no objection being given by the concerned court.”

HIGH COURT OF ANDHRA PRADESH • 2023

स्रोत APHC010507562023

12 Dina Nath v. Union Government of India

ALLAHABAD HIGH COURT • 2018-12-06 • WRIA/44614/2001

यह मामला Railway Protection Special Force (R.P.S.F.) में कांस्टेबल की भर्ती के लिए उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द किए जाने से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने अपने सत्यापन फॉर्म (attestation form) में यह गलत जानकारी दी थी कि उसके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है, जबकि वास्तव में वह कई धाराओं के तहत एक आपराधिक मामले में शामिल था और उसे जमानत भी मिली थी। न्यायालय ने कहा कि चाहे उम्मीदवार बाद में बरी हो गया हो, लेकिन सत्यापन फॉर्म में लंबित मामलों के बारे में जानकारी छिपाना एक गलत घोषणा है। Avtar Singh v. Union of India के सिद्धांतों का पालन करते हुए, न्यायालय ने माना कि कानून प्रवर्तन एजेंसी में भर्ती होने वाले व्यक्ति का आचरण संदेह से परे होना चाहिए। तदनुसार, याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी रद्द करने का निर्णय वैध पाया गया और याचिका खारिज कर दी गई।

निर्णय उच्च न्यायालय ने माना कि सत्यापन फॉर्म भरते समय सत्य बोलना आवश्यक है। भले ही याचिकाकर्ता को बाद में बरी कर दिया गया हो, लेकिन आवेदन जमा करते समय लंबित आपराधिक मामले को छिपाने के कारण उम्मीदवारी रद्द करने का नियोक्ता का निर्णय पूरी तरह से वैध है।

“The petitioner's contention is that since he was acquitted in aforesaid trial vide judgment dated 16.3.2001, therefore, petitioner, in filling form and giving information in negative did not conceal any information or made any false declaration. ... Information given to the employer by a candidate as to conviction, acquittal or arrest, or pendency of a criminal case, whether before or after entering into service must be true and there should be no suppression or false mention of required information.”

ALLAHABAD HIGH COURT • 2018

स्रोत UPHC010906252001

13 Abhishek Kumar Singh v. State of U.P.

ALLAHABAD HIGH COURT • 2023-05-31 • WRIA/254/2023

याचिकाकर्ता ने अपनी उम्मीदवारी रद्द करने के आदेश को चुनौती दी थी, जिसे सहायक समीक्षा अधिकारी (Assistant Review Officer) के पद के लिए चयन प्रक्रिया के दौरान यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि उस पर लंबित आपराधिक मामले 'moral turpitude' के दायरे में आते हैं। याचिकाकर्ता ने ऑनलाइन आवेदन में अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का खुलासा नहीं किया था, हालांकि बाद में दस्तावेज सत्यापन के दौरान उसने हलफनामे में इनका उल्लेख किया। न्यायालय ने पाया कि विज्ञापन के सामान्य निर्देशों के अनुसार, गलत जानकारी देना या तथ्यों को छिपाना उम्मीदवारी रद्द करने का पर्याप्त आधार था। इसके अतिरिक्त, भर्ती समिति की सिफारिश को मुख्य न्यायाधीश द्वारा अनुमोदित किया गया था, जो नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। अतः, न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया और उम्मीदवारी रद्द करने के निर्णय को उचित माना।

निर्णय उच्च न्यायालय ने माना कि साइबर कैफे की गलती के आधार पर महत्वपूर्ण लंबित मामलों को छिपाने के कृत्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नियोक्ता द्वारा चरित्र और उपयुक्तता के स्वतंत्र आकलन के बाद की गई अस्वीकृति पूरी तरह से न्यायसंगत है।

“Concealment of any such fact may disqualify and entail cancellation of his/her candidature. So clause 9.27 is specific and provides that a candidate must disclose the pendency of any criminal case against him/her or first information report has been registered against him/her and non-furnishing of such information may entail cancellation of his/her candidature.”

ALLAHABAD HIGH COURT • 2023

स्रोत UPHC010031972023

14 Sapna v. State of U.P.

ALLAHABAD HIGH COURT • 2023-03-21 • /2588/2023

यह मामला पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करने से संबंधित है। आवेदक, जो एक कलाकार हैं, के खिलाफ एक आपराधिक मामला (Sections 406 & 420 I.P.C.) लंबित था, जिसके कारण पासपोर्ट कार्यालय ने पासपोर्ट के नवीनीकरण से इनकार कर दिया था। निचली अदालत ने भी उनकी NOC की अर्जी खारिज कर दी थी। उच्च न्यायालय ने पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के तहत केंद्र सरकार की अधिसूचना (1993) का हवाला देते हुए माना कि यदि कोई व्यक्ति किसी आपराधिक मामले में अदालत से विदेश जाने की अनुमति प्राप्त कर लेता है, तो पासपोर्ट जारी या नवीनीकृत किया जा सकता है। न्यायालय ने आवेदक को सशर्त अनुमति देते हुए निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया और पासपोर्ट प्राधिकारी को नवीनीकरण पर विचार करने का निर्देश दिया।

निर्णय उच्च न्यायालय ने माना कि 25.08.1993 की सरकारी अधिसूचना के तहत, लंबित आपराधिक मामलों वाले नागरिकों को धारा 6(2)(f) के संचालन से छूट प्राप्त है, बशर्ते वे संबंधित आपराधिक न्यायालय से विदेश यात्रा की अनुमति प्राप्त कर लें।

“On the strength of aforesaid notification dated 25.08.1993, much emphasis has been laid by the learned counsel for the applicant by contending that ... an application of passport is not liable to be refused on the ground of pendency of criminal case if the applicant obtains permission from the concerned Criminal Court for travelling outside India and there is no statutory bar for the trial court to according no objection.”

ALLAHABAD HIGH COURT • 2023

स्रोत UPHC020195002023

15 Salikram v. State of Madhya Pradesh

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH • 2023-01-11 • WP/6049/2017

याचिकाकर्ता ने Constable (Driver) के पद के लिए अपनी उम्मीदवारी को खारिज किए जाने को चुनौती दी थी। अस्वीकृति का आधार एक आपराधिक मामले का खुलासा न करना और याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज पूर्व आपराधिक मामले थे। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पुलिस बल एक अनुशासित इकाई है और किसी उम्मीदवार के लिए बेदाग चरित्र होना आवश्यक है। न्यायालय ने Union of India v. Methu Meda और अन्य मिसालों का हवाला देते हुए कहा कि आपराधिक मामलों में बरी होना अपने आप में नियुक्ति का अधिकार नहीं देता, विशेष रूप से यदि वह acquittal संदेह के लाभ (benefit of doubt) पर आधारित हो। चूंकि याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज मामले गंभीर थे और उनका बरी होना सम्मानजनक (honourable) नहीं था, इसलिए न्यायालय ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया।

निर्णय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि पुलिस बल में नियुक्ति के लिए अत्यधिक ईमानदार और बेदाग चरित्र की आवश्यकता होती है। तकनीकी कारणों या गवाहों के मुकरने के कारण बरी होना 'सम्मानजनक दोषमुक्ति' नहीं है, अतः नियोक्ता द्वारा उम्मीदवारी खारिज करना वैध है।

“If acquittal is not honourable, the candidates are not suitable for government service and are to be avoided. The relevant factors and the nature of offence, extent of his involvement, propensity of such person to indulge in similar activities in ... future, are the relevant aspects for consideration by the Screening Committee...”

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH • 2023

स्रोत MPHC030223142017

16 S. Shanthi v. The Regional Passport Officer

MADRAS HIGH COURT • 2016-07-12 • WP(MD)/9955/2016

यह मामला याचिकाकर्ता द्वारा अपने पासपोर्ट के नवीनीकरण (renewal) के लिए दायर किया गया था, जिसे क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के आधार पर अस्वीकार कर दिया था। प्रतिवादी ने तर्क दिया कि Passport Act, 1967 की Section 6(2)(f) के तहत पासपोर्ट जारी करना प्रतिबंधित है। याचिकाकर्ता का तर्क था कि केवल आपराधिक मामले लंबित होने से पासपोर्ट नवीनीकरण से इनकार नहीं किया जा सकता, विशेष रूप से जब न्यायालय से विदेश यात्रा की अनुमति प्राप्त की जा सकती हो। न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ गंभीर प्रकृति के कई मामले लंबित हैं और वह एक मामले में मुख्य आरोपी है। साक्ष्यों और सरकारी वकील के तर्कों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया और पासपोर्ट अधिकारी के निर्णय को सही ठहराया।

निर्णय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि धारा 6(2)(f) के अंतर्गत आने वाले मामलों में, पासपोर्ट अधिकारियों को आवेदकों को 25 अगस्त 1993 की अधिसूचना के तहत ट्रायल कोर्ट से अनुमति प्राप्त करने के उनके अधिकारों के बारे में सूचित करना चाहिए ताकि आवेदनों में अनुचित देरी को टाला जा सके।

“Accordingly, it is directed that in all cases covered by Section 6(2) (f), the passport authority s shall forthwith inform the applicant about his right to ap ply to the concerned Criminal Court for permission to trav el abroad in terms of the notification dated 25 th August, 1993. ... even if he has not received summons from the Criminal Court, it will be open for the applicant to apply t o that Court for a limited purpose of issuing the necessary orders for grant and/or renewal of passport.”

MADRAS HIGH COURT • 2016

स्रोत HCMD010819112016

17 Janardhan Sah v. State of Jharkhand

HIGH COURT OF JHARKHAND • 2024-07-24 • LPA/22/2023

यह मामला एक पुलिस कांस्टेबल की बर्खास्तगी से संबंधित है, जिसे नियुक्ति के समय अपने खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले और दोषसिद्धि (conviction) की जानकारी छिपाने के लिए सेवा से निकाल दिया गया था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि बाद में उच्च न्यायालय द्वारा उसे बरी कर दिया गया था, इसलिए उसकी बर्खास्तगी गलत थी। राज्य ने तर्क दिया कि मुद्दा केवल दोषसिद्धि का नहीं, बल्कि नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान 'तथ्यों को छिपाने' (suppression of material facts) का है, जिससे नियुक्ति प्राधिकारी सही निर्णय लेने से वंचित रह गए। न्यायालय ने इस बात पर विचार किया कि क्या तथ्यों को न बताना गलत आचरण माना जाएगा और क्या पूर्व के न्यायिक निर्णयों के आलोक में बर्खास्तगी का आदेश सही है।

निर्णय उच्च न्यायालय ने माना कि जब उम्मीदवार ने आवेदन जमा किया था तब वह पहले से ही ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी घोषित किया जा चुका था। बाद में उच्च न्यायालय द्वारा उसे अपील में बरी करना उसे आवेदन के समय दी गई गलत घोषणा (suppression) की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करता।

“The acquittal is immaterial in the present facts of the case since the day when the application was filed by the appellant he was already convicted and sentenced by the trial court. 48. Therefore, the subsequent acquittal has got no meaning so far as th e acceptance of the candidature of the writ petitioner, due to the reaso n that the day when he had made an application...”

HIGH COURT OF JHARKHAND • 2024

स्रोत JHHC010015192023

18 Daya Shankar Yadav v. Union of India

SUPREME COURT OF INDIA • 2010-11-24 • 2010 INSC 809

यह मामला एक Constable की सेवा समाप्ति से संबंधित है, जिसे Central Reserve Police Force (CRPF) में भर्ती के समय अपने Verification Roll में अपने विरुद्ध दर्ज एक पुराने आपराधिक मामले की जानकारी छिपाने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था। न्यायालय ने माना कि नियुक्ति के समय उम्मीदवार का चरित्र और पूर्ववृत्त (antecedents) अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं।\n\nन्यायालय ने यह निर्णय दिया कि यद्यपि उम्मीदवार को बाद में आपराधिक मामले में बरी कर दिया गया था, फिर भी आवेदन पत्र में अभियोजन (prosecution) के बारे में जानकारी छिपाना एक गलत विवरण देना है। चूंकि उम्मीदवार ने Hindi में दिए गए स्पष्ट प्रश्नों का उत्तर 'नहीं' में दिया था, इसलिए उसे यह कहने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि वह भ्रमित था। अतः, नियोक्ता द्वारा सेवा समाप्ति का निर्णय उचित था।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सत्यापन प्रपत्रों का उद्देश्य उम्मीदवार की विश्वसनीयता और चरित्र का निष्पक्ष मूल्यांकन करना है। यदि उम्मीदवार स्पष्ट प्रश्नों के बावजूद आपराधिक मुकदमों को छिपाता है, तो यह नियोक्ता को उसकी सेवाएं समाप्त करने की पूरी स्वतंत्रता देता है।

“To our mind, therefore, if an enquiry revealed that the facts given were wrong, the appellant was at liberty to dispense with the services of the respondent as the question of any stigma and penal consequences at this stage would not arise. 10. It bears repetition that what has led to the termination of service of the respondent is not his involvement in the two cases which were then pending, ... but the fact that he had withheld relevant information while filling in the attestation form.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2010

स्रोत ESCR010002062010

19 Union of India v. Jai Singh Meena

HIGH COURT OF RAJASTHAN • 2024-01-03 • SAW/1651/2019

यह मामला Central Industrial Security Force (CISF) में Constable के पद पर नियुक्त एक उम्मीदवार की बर्खास्तगी से संबंधित है। उम्मीदवार ने नियुक्ति के समय अपने attestation form में इस तथ्य को छुपाया था कि उस पर पहले Section 498A, 406 IPC और Dowry Prohibition Act के तहत मामला दर्ज किया गया था, भले ही वह बाद में बरी हो गया हो। विभाग ने इसे जानबूझकर जानकारी छुपाना मानते हुए सेवा समाप्त कर दी थी। राजस्थान उच्च न्यायालय ने Avtar Singh v. Union of India के सिद्धांतों को दोहराते हुए कहा कि नियुक्ति पाने के लिए उम्मीदवार का सत्यवादी होना आवश्यक है। न्यायालय ने माना कि आपराधिक इतिहास की जानकारी छुपाना, चाहे व्यक्ति बरी ही क्यों न हुआ हो, सेवा से बर्खास्तगी का एक वैध आधार है और एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया।

निर्णय राजस्थान उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि चरित्र सत्यापन प्रपत्र में गिरफ्तारी या अभियोजन के विवरण को छिपाना सीधे तौर पर कर्मचारी के आचरण को प्रभावित करता है। आपराधिक इतिहास को छुपाए जाने पर बरी होने के बावजूद सेवा समाप्ति पूरी तरह उचित है।

“The issue, which requires consideration is whether on account of his acquittal in the year 2009 can the petitioner claim immunity from the allegation of suppression of material facts, though not disclosing the said aspect in his attestation form. ... The suppression of material information and making a false statement in the verification Form relating to arrest, prosecution, conviction etc., has a clear bearing on the character, conduct and antecedents of the employee.”

HIGH COURT OF RAJASTHAN • 2024

स्रोत RJHC021040282019

20 Ganesan Kumaresan v. Regional Passport Officer

MADRAS HIGH COURT • 2025-08-26 • WA(MD)/2282/2025

यह मामला पासपोर्ट के नवीनीकरण (renewal) के अधिकार से संबंधित है। याचिकाकर्ता, जिसके विरुद्ध एक आपराधिक मामला लंबित था, ने अपने पासपोर्ट को नवीनीकृत करने से मना करने के खिलाफ अपील दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि Passports Act, 1967 की Section 6(2)(f) के तहत, यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला लंबित है, तो पासपोर्ट प्राधिकरण नवीनीकरण से इनकार कर सकता है। न्यायालय ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस तर्क को खारिज कर दिया कि नवीनीकरण पर प्रतिबंध लागू नहीं होता। न्यायालय ने माना कि पासपोर्ट का नवीनीकरण और नया पासपोर्ट जारी करना एक ही प्रक्रिया है। अंततः, न्यायालय ने अपील खारिज कर दी और याचिकाकर्ता को राहत पाने के लिए संबंधित ट्रायल कोर्ट के पास आवेदन करने की स्वतंत्रता दी।

निर्णय उच्च न्यायालय ने माना कि पासपोर्ट का नवीनीकरण और नया पासपोर्ट जारी करना कानूनी रूप से एक ही प्रक्रिया है। जब तक मामला न्यायालय में लंबित है, धारा 6(2)(f) के तहत पासपोर्ट नवीनीकरण को रोका जा सकता है, जब तक कि आवेदक संबंधित न्यायालय से विदेश जाने की अनुमति प्रस्तुत न कर दे।

“The passport authority is obliged to refuse to issue passport if the applicant is facing proceedings in a criminal court. ... Since such a blanket prohibition would cause injustice and irreparable hardship in particular cases, the Government of India had issued Notification Dated 25.08.1993 enabling issuance of passport even if the criminal cases are pending before the trial court, if the applicant could produce order from the court concerned permitting them to depart from India.”

MADRAS HIGH COURT • 2025

स्रोत HCMD010851612025

21 Bikki Nageswara Rao v. Union of India

HIGH COURT OF ANDHRA PRADESH • 2025-03-19 • WP/6714/2025

यह मामला पासपोर्ट जारी करने के अधिकार से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था, जिसे Thullur Police Station में दर्ज एक आपराधिक मामले (Crime No. 08/2023) के कारण रोक दिया गया था। यद्यपि याचिकाकर्ता के खिलाफ मामला दर्ज था, लेकिन police ने अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं की थी। न्यायालय ने माना कि केवल एफआईआर दर्ज होना पासपोर्ट जारी करने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक अदालत द्वारा संज्ञान (cognizance) नहीं लिया जाता, इसे Section 6(2)(f) of the Passports Act, 1967 के तहत 'लंबित कार्यवाही' नहीं माना जा सकता। अतः, न्यायालय ने पासपोर्ट अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे बिना उक्त आपराधिक मामले का हवाला दिए याचिकाकर्ता को पासपोर्ट जारी करें।

निर्णय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि केवल एफआईआर दर्ज होने और जांच जारी रहने को पासपोर्ट अधिनियम के तहत पासपोर्ट से इनकार करने का वैध आधार नहीं माना जा सकता। जब तक न्यायालय ने संज्ञान नहीं लिया हो, पासपोर्ट जारी किया जाना चाहिए।

“Therefore, we would have no hesitation in holding that proceedings would be said to have been pending only if cognizance had been taken by the Court and steps had been taken by the Court under Chapter XVI of the Code of Criminal Procedure. Since, there was no cognizance taken, there would be no question of ‘proceedings pending before a criminal Court’, which would attract the provisions of Section 6(2)(f) of the Passports Act, 1967.” 17. ... mere registration of a crime is no ground to deny the passport...”

HIGH COURT OF ANDHRA PRADESH • 2025

स्रोत APHC010128232025

22 Union Territory, Chandigarh Administration v. Pradeep Kumar

SUPREME COURT OF INDIA • 2018-01-08 • 2018 INSC 10

यह मामला पुलिस बल में भर्ती के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता से संबंधित है। न्यायालय ने निर्धारित किया कि आपराधिक मामले में बरी (acquittal) होना स्वतः ही नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। पुलिस जैसी अनुशासित सेवा के लिए नियोक्ता को उम्मीदवार के पूर्ववृत्त (antecedents) और चरित्र की जांच करने का पूर्ण अधिकार है। यदि बरी होना 'honourable acquittal' नहीं है, तो Screening Committee यह मूल्यांकन कर सकती है कि उम्मीदवार पद के लिए उपयुक्त है या नहीं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब तक निर्णय mala fide न हो, वह Screening Committee के निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता और न ही अपनी राय को उनके निर्णय के स्थान पर रख सकता है।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि तकनीकी दोषमुक्ति या गवाहों के मुकरने के कारण बरी होने वाले व्यक्तियों को अनुशासित सेवाओं (जैसे पुलिस बल) के लिए उपयुक्त मानने से स्क्रीनिंग कमेटी इनकार कर सकती है। न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा।

"The acquittal in a criminal case is not conclusive of the suitability of the candidates in the concerned post. If a person is acquitted or discharged, it cannot always be inferred that he was falsely involved or he had no criminal antecedents. Unless it is an honourable acquittal, the candidate cannot claim the benefit of the case."

SUPREME COURT OF INDIA • 2018

स्रोत ESCR010003432018

23 Chandrashekar Nanu Poojary v. Union of India

HIGH COURT OF KARNATAKA • 2024-03-27 • WP/7257/2024

यह मामला याचिकाकर्ता द्वारा अपने पासपोर्ट के नवीनीकरण (renewal) के लिए दायर किया गया था, जिसे अधिकारियों ने यह कहते हुए रोक दिया था कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं। न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि Section 6(2)(f) of the Passports Act, 1967 के तहत केवल तभी पासपोर्ट से इनकार किया जा सकता है जब किसी आपराधिक न्यायालय ने अपराध का संज्ञान (cognizance) ले लिया हो। केवल FIR दर्ज होना या जांच के चरण में होना पासपोर्ट के नवीनीकरण को रोकने का आधार नहीं है। न्यायालय ने प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करें और दो सप्ताह के भीतर उचित निर्णय लें।

निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि विदेश मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार, केवल प्राथमिकी दर्ज होना धारा 6(2)(f) के अंतर्गत पासपोर्ट नवीनीकरण रोकने का आधार नहीं है। कार्यवाही तभी लंबित मानी जाती है जब न्यायालय द्वारा संज्ञान ले लिया गया हो।

"The clarification is rendered by the Ministry of External Affairs that mere filing of FIR and cases under investigation would not come under the purview Section 6(2)(f) of the Act and the criminal proceedings would only be considered when pending, and the concerned Court has taken cognizance of the offence, which would presuppose that the charge sheet has been filed..."

HIGH COURT OF KARNATAKA • 2024

स्रोत KAHC010133982024

24 The State of Madhya Pradesh v. Bhupendra Yadav

SUPREME COURT OF INDIA • 2023-09-20 • 2023 INSC 837

यह मामला पुलिस कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार की पात्रता से संबंधित है। प्रतिवादी ने अपनी पृष्ठभूमि के सत्यापन के दौरान एक पुराने आपराधिक मामले में अपनी संलिप्तता का खुलासा किया था, जिसमें उसे अंततः बरी कर दिया गया था। राज्य ने नैतिक अधमता (moral turpitude) के आधार पर उसे अनुपयुक्त मानते हुए उसकी उम्मीदवारी खारिज कर दी थी। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि केवल आपराधिक मामले में बरी हो जाना ही नियुक्ति का स्वचालित अधिकार नहीं देता है। नियोक्ता को उम्मीदवार की फिटनेस का आकलन करने का पूर्ण अधिकार है, विशेषकर पुलिस सेवा जैसे संवेदनशील पदों के लिए। न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी का बरी होना 'ससम्मान' नहीं था, बल्कि गवाहों के मुकरने और समझौते के कारण था, इसलिए नियोक्ता का निर्णय उचित था।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि यदि किसी व्यक्ति को तकनीकी कारणों से बरी किया गया है, तो नियोक्ता को उसकी उपयुक्तता का मूल्यांकन करने का अधिकार है। पुलिस जैसे पदों के लिए नियोक्ता को उम्मीदवार के चरित्र पर संदेह होने की स्थिति में उसकी उम्मीदवारी खारिज करने का कानूनी अधिकार है।

“While doing so, the employer must act with prudence, keep in mind the nature of the post and the duties required to be discharged. Higher the post, more stringent ought to be the standards to be applied. Even if a truthful disclosure has been made, the employer is well within its right to examine the fitness of a candidate and in a concluded criminal case, keep in mind the nature of the offence and verify whether the acquittal is honourable or benefit has been extended on technical reasons.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2023

स्रोत ESCR0100072023

25 Shafat Basha Peshimam v. Union of India

HIGH COURT OF KARNATAKA • 2024-03-19 • WP/16294/2023

यह मामला पासपोर्ट के पुनः जारी (re-issuance) से संबंधित है। याचिकाकर्ता का पासपोर्ट खो गया था, लेकिन सीमा शुल्क विभाग (Customs Department) द्वारा जांच लंबित होने के कारण क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने आवेदन पर रोक लगा दी थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि Section 6(2)(f) of the Passports Act, 1967 के तहत पासपोर्ट केवल तभी रोका जा सकता है जब किसी आपराधिक न्यायालय ने संज्ञान (cognizance) ले लिया हो। न्यायालय ने Ministry of External Affairs के 10.10.2019 के Office Memorandum का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि केवल FIR दर्ज होने या जांच लंबित होने से पासपोर्ट नहीं रोका जा सकता। न्यायालय ने पासपोर्ट कार्यालय को याचिकाकर्ता का नया आवेदन कानून के अनुसार फिर से विचार करने का निर्देश दिया और विवादित संचार को रद्द कर दिया।

निर्णय उच्च न्यायालय ने माना कि जब तक सक्षम आपराधिक न्यायालय औपचारिक रूप से आरोप पत्र पर संज्ञान नहीं लेता, तब तक धारा 6(2)(f) प्रभावी नहीं होगी। केवल सीमा शुल्क जांच या एफआईआर की लंबितता के आधार पर डुप्लीकेट पासपोर्ट जारी करने से मना नहीं किया जा सकता।

“The Office Memorandum clarifies that, merely because a FIR is registered or the matter is pending investigation, the passport cannot be denied. It is only when - 8 - NC: 2024:KHC:11197 WP No. 16294 of 2023 the criminal Court takes cognizance on the chargesheet so filed against the holder of the passport, Section 6 (2)(f) of the Act would kick in.”

HIGH COURT OF KARNATAKA • 2024

स्रोत KHC010379282023

अस्वीकरण

यह मेमो Vitark AI द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध निर्णयों और उपयोगकर्ता के प्रश्न के आधार पर तैयार किया गया है। यह केवल रिसर्च सहायता के लिए है और कानूनी सलाह (legal advice) नहीं है। किसी भी filing, opinion, या correspondence में उपयोग करने से पहले सभी case citations, holdings और quotations को मूल निर्णय (source judgment) के विरुद्ध स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया जाना चाहिए।